

दिनांक 31.08.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना कागज संख्या 51ब प्रस्तुत। आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर है।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 14.09.2023 को पेश हो।

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।